कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस-नोट

दिनांक- 27.10.2024

विषय:- थाना चेतगंज पुलिस द्वारा जुआ खेल रहे तीन व्यक्तियों को जुए के माल के साथ गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी महोदय द्वारा अपराधों की रोकथाम के मद्देनजर चोरी/लूट की घटनाओ के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के निर्देशन मे, अपर पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के पर्यवेक्षण मे एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज व प्रभारी निरीक्षक चेतगंज के नेतृत्व में थाना चेतगंज पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अवैध रूप से हार जीत की बाजी लगा कर जुआ खेल रहे 03 नफर अभियुक्तगण को जुआ से संबंधित माल 70 अदद ताश के पत्ते व 1100 रूपये के साथ गिरफ्तार कर थाना हाजा लाया गया। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 170/2024, धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम, धारा- 121(1), 324(3) बीएनएस थाना चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण:- दिनांक- 26/10/2024 को थाना चेतगंज पुलिस काली माता मंदिर चौकाघाट यातायात व्यवस्था ड्यूटी में मामूर थे कि मुखबिर द्वारा बताया गया कि रूद्रा होटल के पास कुछ व्यक्ति पैसे के लेन देन को लेकर आपस में वाद विवाद कर रहें हैं। इस सूचना पर रुद्रा होटल के पास पहुचां जहां रुद्रा होटल के बगल वाली गली के अन्दर कुछ व्यक्ति जुआ खेलने में हार जीत की बाजी को लेकर आपस में वाद विवाद कर रहे थे जिनको मौके पर समझाने का प्रयास किया गया तो वो लोग मिलकर हम पुलिस बल के साथ हाथपाई करने लगे तथा फैण्टम 19 UP 65 AG 0949 सरकारी वाहन पर ईट पत्थर चलाने लगे। जिस पर थाना स्थानीय की पुलिस द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुए अभियुक्तगण (1)किशन मौर्या पुत्र स्व0 पप्पू कुमार मौर्या निवासी – एस 12/25 बी 8 पियरिया पोखरी चेतगंज वाराणसी,(2) शिव चौहान पुत्र सूरज बली चौहान निवासी एस 12/43-1 -5 तेलियाबाग चेतगंज वाराणसी,(3) अभिषेक यादव पुत्र स्व अरविन्द यादव निवासी एस 12/80 ई-1-आर पियरिया पोखरी चेतगंज वाराणसी को हिरासत पुलिस में समय करीब 23.50 बजे लेकर थाना हाजा लाया गया तथा नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए थाना स्थानीय पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 170/2024 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम धारा- 121 (1),324(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. किशन मौर्या पुत्र स्व0 पप्पू कुमार मौर्या निवासी – एस 12/25 बी 8 पियरिया पोखरी चेतगंज वाराणसी उम्र लगभग 26 वर्ष।
2. शिव चौहान पुत्र सूरज बली चौहान निवासी एस 12/43-1 -5 तेलियाबाग चेतगंज वाराणसी उम्र लगभग 20 वर्ष।
3. अभिषेक यादव पुत्र स्व अरविन्द यादव निवासी एस 12/80 ई-1-आर पियरिया पोखरी चेतगंज वाराणसी उम्र लगभग 27 वर्ष।

बरामदगी का विवरण- 70 अदद ताश के पत्ते व 1100 रूपये

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान- थाना चेतगंज कमि0 वाराणसी दिनांक 26/10/2024, समय करीब 23.50 बजे।

सम्बन्धित अभियोग- मु0अ0सं0- 170/2024 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 , धारा- 121(1), 324(3) बीएनएस थाना चेतगंज वाराणसी।

गिरफ्तार/सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. दिलीप कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना चेतगंज कमि0 वाराणसी।
2. उ0नि0 अभिषेक कुमार त्रिपाठी चेतगंज कमि0 वाराणसी।
3. हे0का0 मनोज कुमार थाना चेतगंज कमि0 वाराणसी।
4. का0 अमरजीत कुमार थाना चेतगंज कमि0 वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल,
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी,
कमिश्नरेट वाराणसी।